पीठासीन अधिकारी:– प्रकाश चन्द्र चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 22/2017

अनवान:–

1 रवि कुमार पुत्र दुलीचंद जाति नायक सा. दौलतपुरा तह0 टिब्बी।
2 नानक राम पुत्र बीरबल राम जाति नायक सा. दौलतपुरा तह0 टिब्बी।
3 विनोद पुत्र मनीराम जाति नायक सा. दौलतपुरा तह0 टिब्बी।
4 राजूराम पुत्र खेताराम जाति नायक सा. दौलतपुरा तह0 टिब्बी।

प्रार्थीगण

बनाम

1 विकास अधिकारी पंचायतिसमिति टिब्बी।
2 ग्राम पंचायत मल्लडखेडा तह0 टिब्बी जरिये सरपंच ग्रा0पं0 मल्लडखेडा

अप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश विकास अधिकारी टिब्बी दिनांक 14.8.2017

उपस्थित:–
1 श्री राजेशदीप राय अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2 श्री रामकुमार करवां अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2

–:निर्णय:–

दिनांक:–08.01.2018

निगरानीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीयान के मकान वाके दौलतपुरा पंचायत मल्लडखेडा में स्थित है। जो अर्सा 20 वर्ष पूर्व बने हुए हैं। प्रार्थीगण के मकान के पूर्व की ओर गली आम व गली आम के बाद पूर्वी ओर चिपते हुए कृषि भूमि है। उक्त गली आम की भूमि पर बीरबल राम व विजेन्द्र ने अतिक्रमण कर गली आम को बन्द कर रखा है। इस गली को खुलवाने के लिए अप्रार्थी सं. 1 के समक्ष सन् 2015 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की। बीरबलराम व विजेन्द्र का प0नं0181/242 ि0क0नं0 8,13,18,23 की आबादी भूमि पर अतिक्रमण हटाकर गली आम कोस सही स्थान पर चिन्हित कर पक्की करवाई जाने का निवेदन करने पर अप्रार्थी सं. 1 ने बीरबल राम व विजेन्द्र के नाजायज प्रभाव में आकर प्रार्थीगण को सुनवाई का मौका दिये बिना एक पक्षीय तौर पर प्रार्थीगण के मकान की चारदीवारी को अतिक्रमण होना मानकर अतिक्रमण हटाने का आदेश अप्रार्थी सं. 2 को दिया गया। जिसके विरूद्ध निम्न आधारों पर निगरानी प्रस्तुत कर रहे हैं:–

क– यह कि अधीनस्थत न्यायालय का आदेश दिनांक 14.8.17 कतई गलत विधि विरुद्ध होने से खारिज योग्य है।

Web Copy - Not Official

ख– यह कि अप्रार्थी सं.1 के आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी व ना ही सुनवाई का कोई मौका दिया गया।

ग– यह कि अप्रार्थी सं. 1 के ग्राम पंचायत को प्रेषित पत्रांक 3721 दिनांक 14.8.17 में उल्लेख किया है कि कमेटी गठित कर व जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण को अतिक्रमी माना है कतई गलत है। कमेटी नियुक्त करने से पूर्व प्रार्थीगण को कोई सूचना नहींदी व ना ही जांच कमेटी ने मौका पर कोइ जांच की है कथित जांच रिपोर्ट एकपक्षीय है।

घ– यह कि सतवीर सिंह आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में वीरबल राम व विजेन्द्र द्वारा गली आम पर अतिक्रमण के संबंध मे कोई जांच नहीं की तथा ना ही इस संबंध में अपने आक्षेपित आदेश में कोई विवेचना की ।

ड़– यह कि प्रार्थीगण के मकान की पूर्वी ओर गली आम स्थित है तथा गली आम के बाद पूर्वी ओर चिपते हुए कृषि भूमि है उक्त कृषि भूमि के खातेदारों द्वारा गली आम की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। इस हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र भी पेश किये है। वास्तविक जांच हेतु पैमाईश की जानी आवश्यक थी। जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाती । लेकिन कोई पैमाईश न की जांकर प्रार्थीगण को ही अतिक्रमी मानकर अप्रार्थी सं. 1 ने अहम भूल की है।

च– यह कि अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थीगण द्वारा सन् 2015 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित नहीं किया जबकि सतवीर आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आनन फानन में आदेश पारित किया है जो खारिज होने योग्य है।

अतः निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अप्रार्थी सं0 1 द्वारा पारित आदेश 14.8.17 अपास्त फरमाया जावे।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी स. 1 द्वारा अपने पत्रांक 4397 दिनांक 9.11.17 से जबाब व रिकार्ड प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी सं0 2 द्वारा जरिये अभिभाषक जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा गली आम में 10 फुट अतिक्रमण किया गया था जिसको विकास अधिकारी के आदेश की पालना में हटाकर गली आम को अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। विकास अधिकारी ने अतिक्रमण के संबंध में निष्पा कमेटी गठित कर जांच करवायी गयी जिसमें प्रार्थीगण द्वारा 10 फुट अतिक्रमण पाया गया जिसको हटा दिया गया है। प्रार्थीगण को गली आम पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बार बार मौखिक निवेदन किया गया व लिखित नोटिस जारी किये गये इसके पश्चात् भी अतिक्रमण न हटाने पर पुलिस की मदद सेा प्रार्थीगण द्वारा गलीअ आम पर किये गये अतिकमण को मुक्त करा दिया गया है। प्रार्थीगण को

Web Copy - Not Official

निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। श्रीमान् न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक निगरानीकर्ताओं द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि बिना पैमाईश के ही विकास अधिकारी द्वारा बीरवल राम व विजेन्द्र के प्रभाव में आने पर विधिवत सुनवाई ना कर आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत गली आम पर प्रार्थीगण का अतिक्रमण होने से कमेटी गठित कर जांच रिपोर्ट लेकर अतिक्रमण हटाया जा चुका है। इसलिए निगरानी खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। हस्तगत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के तहत प्रस्तुत की गयी। इस धारा में पंचायत समिति के किसी प्रकल्प अथवा प्रस्ताव के विरूद्ध प्रस्तुत की जा सकती है। जबकि प्रकरण में विकास अधिकारी टिब्बी द्वारा अपने पत्रांक 3721 दिनांक 14.8.17 से सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत मल्लडखेडा को पत्र जारी कर प्रार्थीगण द्वारा कच्ची चार दीवारी निकालकर अवैद्य अतिक्रमण किया हुआ होने से अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को की गयी कार्यवाही से अवगत कराने बाबत लिखा गया । विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत को जारी किये गये पत्र की कार्यवाही अर्न्तवर्ती कार्यवाही की श्रेणी में आती है। इस कार्यवाही के पत्र को निगरानी प्रार्थना पत्र के जरिये न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रकार निगरानी प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्ततु निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति टिब्बी व ग्राम पंचायत मल्लडखेडा को प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official